



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 571 राँची, बुधवार, 30 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2020

संख्या-04/विविध-10-40/2014 का.-6744--विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 6472 दिनांक 21.07.2015 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकृत संवर्ग बल का निर्धारण, पदों का चिन्हितीकरण एवं कर्णांकन किया गया है। झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों की संख्या निम्नवत् निर्धारित एवं चिन्हित की गयी थी-

क्र०	पद सोपान	वेतनमान/ पुनरीक्षित वेतनमान	पदों की कुल संख्या
1	विशेष सचिव	PB-IV, 37400-67000, ग्रेड वेतन-8900 पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स लेवल 13A	10
2	अपर सचिव	PB-IV, 37400-67000, ग्रेड वेतन-8700 पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स लेवल 13	15
3	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर	PB-IV, 37400-67000, ग्रेड वेतन- 8700 पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल 13	120
4	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर	PB-III, 15600-39100, ग्रेड वेतन-7600 पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स लेवल 12	236
5	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर	PB-III, 15600-39100, ग्रेड वेतन-6600 पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स लेवल 11	292
6	मूल कोटि	PB-II, 9300-34800, ग्रेड वेतन-5400 पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स लेवल 9	844
कुल			1517

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 6472 दिनांक 21.07.2015 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकृत संवर्ग बल के चिन्हितकरण एवं कर्णाकन के उपरांत कतिपय विभागों द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु विभिन्न कोटि के पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदों को किन्हीं अन्य सेवाओं हेतु तथा अन्य सेवाओं के पदों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु सम्परिवर्तित किया गया है।

3. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं० 1764 दिनांक 25.04.2018 द्वारा झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 का गठन किया गया है, जिसमें झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कतिपय पदों को राजस्व सेवा हेतु तथा राजस्व सेवा के कतिपय पदों को झा०प्र०से० के लिए सम्परिवर्तित किया गया है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1405(2) दिनांक 09.06.2020 एवं पत्रांक 2269(2)/रा० दिनांक 03.09.2020 द्वारा झा०प्र०से० हेतु चिन्हित पदों के सृजन, झा०प्र०से० के पदों को झारखण्ड राजस्व सेवा हेतु संपरिवर्तित करने एवं झारखण्ड राजस्व सेवा के कतिपय पदों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु संपरिवर्तित करने की सूचना दी गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु सृजित नवीन पदों का विवरण

क्र. सं.	कोटि	पद का नाम	पूर्व से कर्णांकित पदों की सं०	सृजित नये पदों की सं०	कुल पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मूल कोटि	अंचल अधिकारी	261	07	268
2	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि	भूमि सुधार उप समाहर्ता	38	10	48
3	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण	00	01	01
		अपर समाहर्ता (वृहत राँची)	00	01	01

(ii) झारखण्ड राजस्व सेवा के चिन्हित पदों में से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु सम्पूरित पदों का विवरण

क्र. सं.	कोटि	पद का नाम	पूर्व से झा०प्र०से० हेतु कर्णांकित पदों की सं०	झा०प्र०से० हेतु सम्पूरित पदों की सं०	झा०प्र०से० हेतु कुल पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मूल कोटि	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	10	16	26

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के चिन्हित पदों में से झारखण्ड राजस्व सेवा हेतु सम्पूरित पदों का विवरण

क्र. सं.	कोटि	पद का नाम	पूर्व से झा०प्र०से० हेतु कर्णांकित पदों की सं०	झा०प्र०से० हेतु सृजित नवीन पदों की सं०	राजस्व सेवा हेतु सम्पूरित पदों की सं०	झा०प्र०से० हेतु शेष पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	मूल कोटि	अंचल अधिकारी	261	7	66	202
2	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	24	0	10	14
		भूमि सुधार उप समाहर्ता	38	10	03	45
		सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण	01	0	01	00

		कोल्हान अधीक्षक	01	0	01	00
3	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण	00	01	01	00

4. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं० **2198** दिनांक **14.09.2019** द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु कर्णांकित सहायक निदेशक के **04** (चार) पदों एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के **10** (दस) पदों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्गीय पदों के रूप में चिन्हित एवं कर्णांकित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:

क्र. सं.	कोटि	पद का नाम	पूर्व से झा०प्र०से० हेतु कर्णांकित पदों की सं०	झा०प्र०से० हेतु सृजित नवीन पदों की सं०	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्गीय पदों हेतु सम्परिवर्तित पदों की सं०	झा०प्र०से० हेतु शेष पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि	सहायक निदेशक	04	0	04	0
		जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	10	0	10	0

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अन्तर्गत लोकायुक्त कार्यालय में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु संयुक्त सचिव के एक एवं उप सचिव के एक पद का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अंतर्गत झा०प्र०से० हेतु उप सचिव का **01** (एक) पद एवं अवर सचिव के **02** (दो) पद सृजित किये गये हैं। इस संबंध में विवरणी निम्नवत् है:

क्र. सं.	विभाग/ कार्यालय का नाम	कोटि	पद का नाम	पूर्व से झांप्र०से० हेतु कर्णांकित पदों की सं०	झांप्र०से० हेतु सृजित नवीन पदों की सं०	झांप्र०से० हेतु कर्णांकित कुल पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	कार्मिक प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग (लोकायुक्त कार्यालय)	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	संयुक्त सचिव	00	01	01
		अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	उप सचिव	01	01	02
2	कार्मिक प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग)	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	उप सचिव	02	01	03
		अनुमण्डल पदा० एवं समकक्ष कोटि	अवर सचिव	00	02	02

6. निदेशक, खेल का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पद के रूप में चिन्हित है। इसी प्रकार निदेशक, खेलकूद का पद झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव कोटि में भी कर्णांकित है।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग बल में पदों के कर्णांकन एवं कर्णांकन से हटाने का निम्नवत रूप से निर्णय लिया जाता है:-

क्र. सं.	कोटि	विभाग/ कार्यालय का नाम	पद का नाम	पूर्व से झांप्र०से० हेतु कर्णांकित पदों की सं०	झांप्र०से० हेतु सृजित सम्परिवर्तित पदों, जिन्हें कर्णांकित किया जाना है, की सं०	झांप्र०से० के कर्णांकन से हटाये जाने वाले पदों की सं०	नये पदों के कर्णांकन/अन्य सेवा हेतु संपरिवर्तित पदों को कर्णांकन से हटाने के उपरांत झांप्र०से० हेतु कुल पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	मूल कोटि	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	अंचल अधिकारी	261	07	66	202
			सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	10	16	0	26

2	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	भूमि सुधार उप समाहर्ता	38	10	03	45
			जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	24	0	10	14
			सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण	01	0	01	00
			कोल्हान अधीक्षक	01	0	01	00
		महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	सहायक निदेशक	04	0	04	00
			जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	10	0	10	00
		कार्मिक प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग)	अवर सचिव	00	02	0	02
3	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	कार्मिक प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग)	उप सचिव	02	01	00	03
		कार्मिक प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग (लोकायुक्त कार्यालय)	उप सचिव	01	01	00	02
		राजस्व, निबंधन एवं	अपर समाहर्ता	00	01	00	01

		भूमि सुधार विभाग	(वृहत राँची)				
4	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	कार्मिक प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग (लोकायुक्त कार्यालय)	संयुक्त सचिव	00	01	00	01
		पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	निदेशक, खेलकूद	01	00	01	00

8. उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकृत संवर्ग बल की संख्या **1517** के स्थान पर **1460** रह जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पद सोपान	पूर्व से कर्णांकित पद	नये कर्णांकित पदों की संख्या	झा०प्र०से० संवर्ग बल के कर्णांकन से हटाये गये पदों की संख्या	नये पदों के कर्णांकन/ अन्य सेवा हेतु संपरिवर्तित पदों को कर्णांकन से हटाने के उपरांत झा०प्र०से० हेतु कुल पदों की सं०
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विशेष सचिव (पुनरीक्षित वेतन मान- पे मैट्रिक्स लेवल 13 A)	10	00	00	10
2	अपर सचिव (पुनरीक्षित वेतन मान- पे मैट्रिक्स लेवल 13)	15	00	00	15
3	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतन मान- पे मैट्रिक्स लेवल 13)	120	01	01	120

4	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतन मान- पे मैट्रिक्स लेवल 12)	236	03	00	239
5	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतन मान- पे मैट्रिक्स लेवल 11)	292	12	29	275
6	मूल कोटि (पुनरीक्षित वेतन मान- पे मैट्रिक्स लेवल 9)	844	23	66	801
कुल		1517	39	96	1460

9. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग बल के सृजन एवं कर्णाकन संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश जापांक 6472 दिनांक 21.07.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा ।

10. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख जापांक 5826 दिनांक 13.11.2020 पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 23.12.2020 की बैठक में मद संख्या 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।
